

## प्रेस विज्ञप्ति

विषय:- गांजा नष्टीकरण बाबत।

उप सचिव छ0ग0 सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्र. एफ 9-53/2024/1/5 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21 नवंबर 2024 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय गौपेम के अन्तर्गत थानों में जब्त किये गये मादक पदार्थ के नष्टीकरण हेतु जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति गठित की गई है।

एनडीपीएस के प्रकरणों में नष्टीकरण हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण कर निम्न थाना के द्वारा नष्टीकरण योग्य प्रकरणों की सूची तथा मूल प्रपत्र समिति को प्रस्तुत की गई है जो नष्टीकरण योग्य पाये जाने से फूड प्रोडक्ट यूनिट-2, अंजनी गौरेला के भट्ठी (Furnace) में दिनांक 24.01.2025 के प्रातः 11.00 बजे विधिवत् जलाकर/नष्टकर नष्टीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त चयनित स्थल में गांजा नष्टीकरण की कार्यवाही निर्धारित तिथि को समिति के सदस्यों एवं पंचान के समक्ष की जावेगी।

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग बिलासपुर छ0ग0 को सूचनार्थ एवं प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

(02) संपादक,

दैनिक भास्कर, नवभारत, नई दुनिया, पत्रिका, हरिभूमि, देशबंधु (गौपेम).

